जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा वर्ष- 2024 में किये गये महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य का विवरण

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन में जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण, भयमुक्त समाज की स्थापना, जन सामान्य में पुलिस का विश्वास बढ़ाने एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रभावी कार्य योजना बना कर तथा समय-समय पर विशेष अभियान चला कर अपराध में सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध कराया गया, जिसके फलस्वरूप अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हुआ और अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी। जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था अक्षुण रखने व अपराध नियन्त्रण हेतु दिनांक 01.01.2024 से अब तक की गयी कुछ कार्यवाहियों का विवरण निम्नवत हैः-

पुलिस मुठभेड़-

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कुल 25 पुलिस मुठभेड की घटनाएं हुई है, जिसमें कुल 36 अपराधी घायल/गिरफ्तार किये गये है।

विवेचना निस्तारणः—

जनवरी माह में कुल 1040 विवेचना शेष थी, वर्ष 2024 में कुल 5412 अभियोग पंजीकृत हुए है। विवेचना निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अब तक कुल 5725 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है। शेष 727 अभियोगों की विवेचना प्रचलित है।

गैगेस्टर अधिनियम व गैंग पजीकरण के अंतर्गत की गयी कार्यवाही- जनपद फतेहपुर कुल 48 अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर अधि0 के अंतर्गत 12 अभियोग पंजीकृत है।

गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंर्तगत की गयी कार्यवाही का विवरणः--

गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंर्तगत शेख एजाज उर्फ बॉक्सर पुत्र नसीर अहमद की चल-अचल सम्पत्ति कीमती करीब 5,00,00,000/- रुपये व मनोज अग्रवाल पुत्र सुमेर चन्द्र अग्रवाल की चल-अचल सम्पत्ति कीमती 11,16,91,462/- रुपये कुल 16,16,91,462/- रुपये की संपत्ति का जब्तीकरण किया गया।

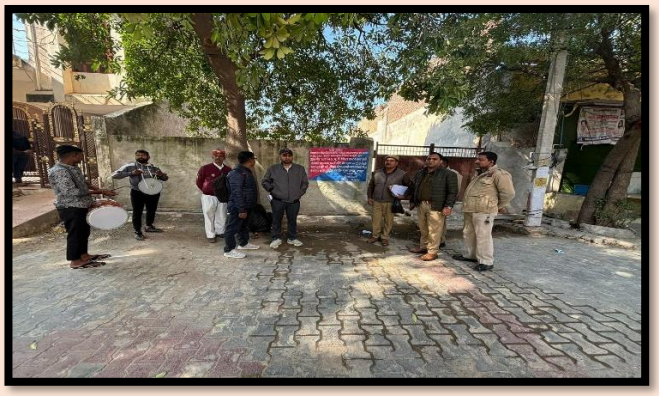

❖ जनपद में लूट, गौ तस्करी, चोरी व धोखाधड़ी से सम्बंधित कुल 69 अपराधियों के विरुद्ध 16 गैंग पंजीकृत है।

गुण्डा अधिनियम व 110 जी के अंर्तगत की गयी कार्यवाही -जनपद में वर्ष 2024 में कुल 145 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

❖ जनपद के अभ्यस्त अपराधियों के क्रियाकलापों की सतत निगरानी हेतु कुल 54 हिस्ट्रीशीट खोली गयी है तथा धारा 110 जी सीआरपीसी के तहत 1493 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

मोबाइल बरामदगीः—

जनता के गुमशुदा / खोये हुये 229 मोबाइल सेटों (कीमत लगभग 61 लाख रुपये) को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को किया गया सुपुर्द-

ऑपरेशन कन्विक्शन-

शासन के मंशानुसार जघन्य अपराधों में शीघ्र सजा दिलाये जाने उद्देश्य से चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत वर्ष 2024 में प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 395 अभियोगों में 568 अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी , जिसमें 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 18 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक की सजा व 540 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गयी है।

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

जारं, फतेहपुर: जंगल गई महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही अदालत ने दोषी पर दस हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। महिला के पति के साथ गालीगलौज करने वाले दोषी के पिता को भी दो वर्ष के कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यह घटना सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 सितंबर 2019 की शाम आठ बजे की है। पीड़ित महिला शाम आठ बजे जंगल गई थी, तभी वहां पहले से बैठे रजनीश ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। उलाहना देने व किसी से बचाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता रोते हुए अपने घर वापस लौटी और सारी घटना अपने पति से बताई। महिला का पति दोषी रजनीश के घर उलाहना देने गया तो उसके पिता अरुण ने जानमाल की धमकी देते हुए गालीगलौज कर भगा दिया। पीड़िता द्वारा सुल्तानपुर घोष थाने में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के पीठासीन अधिकारी हरिप्रकाश गुप्ता द्वारा उक्त मामले की अंतिम सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी रजनीश को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। वहीं 10500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं गालीगलौज करने वाले दोषी के पिता को दो वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपये की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया व प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं।

- उलाहना देने गए महिला पति के साथ दोषी के पिता ने की थी गालीगलौज
- गालीगलौज करने वाले दोषी के पिता को सुनाई दो वर्ष कारावास की सजा

किस धारा में क्या हुई सजा

- धारा 376 – दोषी रजनीश को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड
- धारा 506– दोषी रजनीश को दो वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड
- धारा 506– दोषी रजनीश के पिता अरुण को दो वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड

कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट का मुकदमा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर पुलिस ने पीड़िता की ओर से आरोपित पिता-पुत्र के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गाजीपुर थाने के शक्र निवासी रामराज ने बताया कि उसका पुत्र उर्फ शिवप्रताप गांव के गोलू पाल के साथ काम करता है। मजदूरी का बताया न मिलने पर बेटे ने गोलू के साथ काम पर जाना बंद कर दिया था। जिस पर 27 फरवरी 2024 को गोलू आया और बेटे को जबरदस्ती पकड़कर ट्रैक्टर में बैठाकर ले गया और जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर बेटे को पुआल कतरने की मशीन पर लगा दिया। बेटे के विरोध करने पर उक्त पिता-पुत्र ने अपशब्द कहकर उसे धक्का दे दिया जिससे मशीन के भीतर बेटे का हाथ घुस गया और पंजा से हाथ कट गया। बेटे को सदर अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। बेटे का उपचार कानपुर में चल रहा है, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। एसओ प्रमोद कुमार मौर्या ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गोलू पाल व इसके पिता पुत्रपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

पिता को मौत के घाट उतारने वाले पुत्र व पौत्र को उम्रकैद

वर्ष 2018 में बाइक सवार हमलावरों ने घटना को दिया था अंजाम, अदालत ने 76 हजार का अर्थदंड भी लगाया

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: नगर मुख्यालय के आइटीआइ रोड जीजीआइसी के सामने वर्ष 2018 में पिता की गला काटकर हत्या करने वाले पुत्र व पौत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के पीठासीन अधिकारी हरिप्रकाश गुप्त ने इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा व उसके पुत्र गौरव मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 76 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

नगर मुख्यालय के पाश इलाके में सनसनीखेज घटना 23 अक्टूबर वर्ष 2018 को हुई थी। नगर के आइटीआइ रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज के समीप उस समय हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था। जब गोवर्धन प्रसाद अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र देवेंद्र मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल में आइटीआइ रोड स्थित एक चिकित्सक के यहां इलाज करवाकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही जीजीआइसी स्कूल के पास सड़क पर पहुंचे तो सामने से दो मोटरसाइकिल पर सवार रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा व उसका पुत्र गौरव मिश्रा व दूसरी मोटरसाइकिल पर तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने वादी व उसके पिता को रोककर एक राय होकर उसके पिता के ऊपर तमंचा व चाकू से हमला कर दिया और फायर करने लगे। जिससे गोवर्धन प्रसाद को गोली लग गई और वह गिर गए। उनके गिरने पर चाकू से भी उनके गले पर वार करते हुए गला काट दिया। पाश इलाके में आवाजाही करने वाले राहगीर दहशत में आ गए थे।

पुलिस हिरासत में आजीवन कारावास के दोषी रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा व गौरव मिश्रा • जागरण

इस मामले की अंतिम सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन में हुई, जिसमें कुल 11 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत हुए। पीठासीन अधिकारी हरिप्रकाश गुप्त ने रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा व उसके पुत्र गौरव मिश्र को दोष सिद्ध करार दिया। दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 76 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रमिल कुमार श्रीवास्तव व अनिल कुमार दुबे ने तर्क रखे।

दिनदहाड़े हुई घटना से फैल गई थी दहशत : दिनदहाड़े शहर के पाश इलाके में सरेराह जिस तरह फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम दिया गया था, उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। गोलियों की आवाज व चीख पुकार की आवाजें गूंज उठी थी। स्थानीय दुकानदार भी सहम गए थे और लोग अपने घरों में दुबक गए थे।

संपत्ति के विवाद में घटना को दिया था अंजाम

दिवंगत के पैतृक गांव खखरेंडू थाना क्षेत्र के दरियामऊ गांव में 25 बीघे पैतृक जमीन है। वहीं नगर मुख्यालय के शांतीनगर मुहल्ले में मकान भी है। दिवंगत पुलिस विभाग से सेवानिवृत होने के बाद नगर मुख्यालय के शांतीनगर में अपनी दूसरी पत्नी शशि मिश्रा व दूसरे पत्नी से हुए पुत्र देवेंद्र मिश्रा के साथ रहता था। पिता को मौत घाट उतारने वाला पहली पत्नी का पुत्र रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा व पौत्र गौरव मिश्रा भी समूची संपत्ति पर अपना हक मांग रहे थे। बताते हैं कि दिवंगत गोवर्धन प्रसाद ने पुलिस से सेवानिवृति के बाद मिली वाली धनराशि अपनी दूसरी पत्नी व उसके पुत्र को दे दी थी और नगर मुख्यालय का मकान भी अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दिया था। इससे वह नाराजा था। हालांकि गांव की खेती रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा ही करता था।

किस धारा में क्या हुई सजा

- धारा 302 सपठित धारा 34– दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये का अर्थदंड
- धारा 307 सपठित धारा 34– दोनों दोषियों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड
- धारा 7 आपराधिक कानून– दोनों दोषियों को चार माह का कठोर कारावास
- धारा 4/25 आयुध अधिनियम– दोषी गौरव मिश्रा को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड
- धारा 3/25 आयुध अधिनियम– दोषी रविशंकर उर्फ बब्बी मिश्रा को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड
- धारा 3/25 आयुध अधिनियम– दोषी गौरव मिश्रा को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड

कुम्हारन डेरा मजरे रायपुर भसरौल निवासी कल्लू निषाद की कर दी गई थी हत्या

हत्या में दो को आजीवन कारावास

- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
- जुर्माना न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा मिलेगी

फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता। हत्या के एक मुकदमें में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक के दोषी दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की दशा में दोषियों को एक साल अतिरिक्त सजा काटना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र के कुम्हारन डेरा मजरे रायपुर भसरौल निवासी कल्लू निषाद 31 मई 2016 को खागा तहसील एक मुकदमें की तारीख में गया था। उसके साथ प्रकाश व श्रीचंद्र भी गए थे। लेकिन रात में कल्लू घर नहीं लौटा था। दूसरे दिन 01 जून 2016 को उसके परिजनों को सूचना मिली कि कल्लू की लाश एक खेत में पड़ी है। मृतक के पिता राजबहादुर ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना थाना क्षेत्र के थुरियानी में रहने वाला गाजीपुर के कुआंपर के प्रकाश पुत्र रामराज और थुरियानी निवासी श्रीचंद्र पुत्र गया प्रसाद का नाम प्रकाश में लाते हुए दोनो को गिरफ्तार कर जेल भेज दो जुलाई 2016 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बताया कि केस की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराया था, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के साथ जिरह करते हुए उन्होंने कोर्ट में दलीलें पेश की। घटना से पहले दोस्तों के साथ मौजूद अंतिम गवाह की गवाही अहम रही। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं अभियोजन की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है।

पिता के कातिल की जमानत खारिज : फतेहपुर। फाबड़े से पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपित के जमानत प्राथना पत्र को फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय सिंह प्रथम की अदालत ने खारिज कर दिया। एडीजीसी महेन्द्र सिंह ने बताया कि 23 जून 2018 को चांदपुर थाना क्षेत्र के कुलखेड़ा निवासी 60 वर्षीय कृष्ण कुमार तिवारी अपने नलकूप में मवेशियों चारा डाल रहे थे, तभी किसी खुन्नस में उनका छोटा बेटा आनंद किशोर उर्फ अन्नू ने फाबड़े से ताबड़ तोड़ वार कर उन्हे मौत के घाट उतार दिया था।

मृतक बड़े बेटे कौशल किशोर तिवारी ने भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। बताया कि अभियुक्त ने कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजक ने जिरह करते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया। उनके द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस प्रकार अब उसे जमानत नहीं दी जा सकेगी।

पति की मौत पर महिला ने ससुरालियों पर दर्ज कराया केस

बिंदकी। चार माह पूर्व पति ने घर में फांसी लगाकर जान देने के मामले में उसकी पत्नी ने ससुराजीजनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना राधानगर नेवलापुर गांव निवासिनी गुड़िया की शादी बिंदकी कस्बा के मोहल्ला पैगंबरपुर पप्पू उर्फ गेंदालाल के साथ हुई थी। लगभग चार माह पूर्व 17 जनवरी महिला के पति ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। मृतक की पत्नी कोर्ट की चौखट पहुंच गई थी और न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर बिंदकी पुलिस ने उसकी सास गीता ससुर नन्हीं उर्फ मुंशीलाल, ननद अंजू व मनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति पप्पू उर्फ गेंदालाल के गले में रस्सी से कसकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

अवैध सरकारी जमीन पर किये गये निर्माण ध्वस्तीकरण-

गैंगेस्टर/हिस्ट्रीशीटर/आपराधिक माफिया हाजी रजा की निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पेक्स (अनुमानित कीमत मय भूमि लगभग 20 करोड़) का उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब-

अवैध शराब निर्माण एवं निष्कर्षण व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में 507 अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 483 अभियोग पंजीकृत करते हुए 7527 ली0 अवैध शराब, 3240 ली0 अंग्रेजी शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किये तथा मौके पर 145 कुन्तल लहन मौके पर ही नष्ट किया गया।

अवैध शस्त्र-

थाना ललौली पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए अंतर्जनपदीय शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 07 अदद तमंचा निर्मित, 03 अदद तमंचा अर्ध निर्मित, 02 अदद कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

जनपद में आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग -133

अभियुक्तों की संख्या- 170

बरामद शस्त्र – तमंचा -157, बंदूक/ राईफल -02, कारतूस 245, चाकू -33, रिवाल्वर -01 , शस्त्र फैक्ट्री -02

चोरी की वाहन की बरामदगीः-

वाहन चोरों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 52 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गयी।

साइबर थाना आनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों की धन वापसी-

साइबर थाना द्वारा वर्ष 2024 में ऑनलाइन ठगी के शिकार 30 पीडितों का कुल 29,36,325/- लाख रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराये गये तथा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

ऑपरेशन क्लीन – जनपद फतेहपुर में वर्ष 2024 में ऑपरेशन क्लीन के तहत कुल 1659 वाहनों का निस्तारण कराया गया, दिनांक 22.11.2024 से चलाये गये अभियान के क्रम में कुल 304 वाहनों का निस्तारण किया गया है , जिनकी कुल अनुमानित कीमत 11,69,90,000/- रुपये है।

परिवार परामर्श केन्द्र -

मिशन शक्ति अभियान के तहत संचालित परिवार परामर्श केन्द्र में परिवार परामर्श केन्द्र, महिला चौकी बिन्दकी व कॉउंसलर सदस्यगण की कॉउंसलिंग के उपरांत वैचारिक मतभेद/आपसी मनमुटाव को भुलाकर 220 दम्पति साथ रहने को हुए राजी तथा 16 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किये गये।

ऑपरेशन त्रिनेत्र- शासन के निर्देशानुसार आपरेशन त्रिनेत्र के अंर्तगत आमजन को जागरुक करते हुये जनपद में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों व चौराहों पर वर्ष 2024 में 954 सीसीटीवी कैमरे व अब तक कुल 6841 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये हैं।

ऑपरेशन सवेराः—शासन के निर्देशानुसार जनपद में बुर्जुग व्यक्तियों त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने के उदेश्य से जनपद में वर्ष 2024 में 2245 बुर्जुगों का पंजीयन किया गया है तथा अबतक कुल 63,301 बुर्जुग व्यक्तियों का ऑरेशन सवेरा के अंर्तगत पंजीयन किया जा चुका है।

❖ यातायात पुलिस द्वारा कुल 600 से ज्यादा स्कूलों/महाविद्यालयों में कार्यशाला, मेलों , प्रदर्शन व कस्बो में

जाकर लगभग 02 लाख से ज्यादा लोगों को 50,000 हजार पप्पलेट आदि वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया।